भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 610
दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

कुपोषित बच्चे

610. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य पदार्थों की कीमतों में निरंतर वृद्धि के कारण देश में लाखों बच्चे और कुपोषित हो रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या मंत्रालय ने कुपोषित बच्चों की दुर्दशा पर ध्यान दिया है और चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों से परामर्श करके उनकी समस्या को दूर करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख): कुपोषण एक जटिल समस्या है तथा भोजन की उपलब्धता इसके अनेक कारणों में से एक है। रियायती दर पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित करके सरकार द्वारा परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा की समस्या का निराकरण किया गया है। सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), आंगनवाड़ी सेवा स्कीम (एडब्ल्यूएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण - पीएम पोषण (तत्कालीन मध्याह्न भोजन योजना यानी एमडीएम) तथा भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सुदृढ़ीकृत चावल की आपूर्ति का प्रावधान किया है। इसके अलावा, कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिसे दिसम्बर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अनुमान है कि पीएमजीकेएवाई पर कुल व्यय 3.91 लाख करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) : सरकार ने कुपोषण की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी है और इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। तालमेलयुक्त तथा परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण की चुनौतियों को दूर करने के लिए 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया जो सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। पोषण अभियान सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों की गतिविधियों को अभिसरित करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करता है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ अभिसरित उपायों को मानचित्रित किया गया है। राज्य स्तर पर प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को संबंधित विभागों के साथ अभिसरण कार्य योजना (सीएपी) की बैठक की अध्यक्षता करनी होती है। जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला वितरण समिति जिले में पोषण के परिणामों के लिए जिम्मेदार है और फील्ड अधिकारियों की टीम के माध्यम से कार्यक्रम के तहत गतिविधियों की निगरानी की जाती है।

इसके अलावा, विभिन्न नीतिगत और प्रणालीगत आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए कार्यक्रम की डिज़ाइन, कार्यक्रम प्रक्रिया, परिणाम और प्रभाव के संबंध में तथा अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में कार्यक्रम की प्रासंगिकता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए समेकित बाल विकास स्कीम और आंगनवाड़ी सेवा स्कीम का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इसलिए, पोषण संबंधी परिणामों को इष्टतम करने के लिए आंगनवाड़ी सेवा के तहत पूरक पोषण

कार्यक्रम, किशोरियों के लिए स्कीम और पोषण अभियान के तहत प्रयासों को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में पुन:संरेखित किया गया है। यह पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से तथा स्वास्थ्य, अरोग्यता और प्रतिरक्षण का विकास और संवर्धन करने वाली प्रथाओं के प्रति अभिसरित इको सिस्टम के निर्माण द्वारा बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं में कुपोषण की चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करता है।

पोषण 2.0 मातृत्व पोषण, शिशु एवं बाल आहार मानदंड, एमएएम/एसएएम के उपचार तथा आयुष के माध्यम से आरोग्यता पर बल देता है। यह अभिसरण, सुशासन और क्षमता निर्माण के स्तंभों पर आधारित है। पोषण अभियान आउटरीच के लिए मुख्य स्तंभ होगा और पोषण सहायता, आईसीटी उपाय, मीडिया हिमायत और अनुसंधान, सामुदायिक आउटरीच और जन आंदोलन से संबंधित नवाचारों को कवर करेगा।

****